संदर्भ सं० / Ref. No.NITUK/	दिनांक / Date:

फार्म-प्रथम / FORM-I

ार्म

1.	नाम / Name			:			
2.	कर्मचारी कोड एवं वेत	तन स्तर / Emp. Code	e, Pay Level			&	
3.	पद / Designation						
4.	विभाग / Departmen	t					
5. 6.	appointment (Regu (a) भारत और विदे	ılar/Temporary/Con श में सम्मेलन / कार्य / Nature of C	र्शिशाला / संगोष्ठी / विशेष onference/Workshop/	:			
	लागू न हो उसे कार	ट दें) / Name of C	प्रशिक्षण का नाम (जो onference/Workshop/ which is not applicable)				
	(d) स्थान / Venue			:			
	(e) शहर, राज्य, देश,	/ City, State, Coun	try	:			
	(f) दिनांक / Dates			: से/From		_ तक / To	
	(g) आयोजक का विव	ारण / Details of org	anizer	:			
7.	आने का उद्देश्य/Pui	rpose of visit		:			
	Invited talk/deliveri	पूर्ण व्याख्यान देना / ng plenary lecture/l	'गोपनीयता की कमी/	:			
	(c) प्रस्तुति / Presen			: मौखिक / Oral	()	पोस्टर / Poster	()
8. 9.	उत्तराखण्ड द्वारा वित्त लिया है (यदि हां, ते any conference/eve funded by NIT Utta पेपर का विवरण / De प्रति संलग्न करें / enclo	और वर्तमान सेमेर त पोषित किसी सम्मे ो विवरण प्रदान करें) / ent in the past a arakhand (If yes, pr etails of paper (निम् ose copy of invitation	ांत्रण एवं स्वीकृत पेपर की and accepted paper)	:			
0.			सम्मेलन तक तथा वापसी /	<u> </u>	vork to the co		
	दिनांक / Date	समय / Time	से / From	तक / To		माध्यम / Mode	
			+				

			प्राप्त / प्राप्त की जा रही वित्तीय सहायता का ding agencies and/or event organizer:	
12.	अनुमानित	व्यय का विवरण / Details of estimated expe	enditure:	
	क्र ०सं० S.No.	प्रमुख	राशि / AMOUNT (in ₹)	
	1.	हवाई किराया (केवल इकोनॉमी क्लास) / ट्रेन Airfare (economy class only) / Train Fare	₹	
	2.	पंजीकरण शुल्क (वास्तविक के अनुसार)/ Regi	₹	
	3.	दैनिक भत्ता (वास्तविक के अनुसार) / Daily All	lowance (as per actuals)	₹
	4.	वीजा फीस शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / Visa	a Fees Charges (as per actuals)	₹
	5.	यात्रा बीमा शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / Tra	vel Insurance charges (as per actuals)	₹
	6.	कोई अन्य व्यय, यदि कोई हो, कृप्या निर्दिष्ट specify	करें / Any other expenses, if any, please	₹
		कुल अपेक्षित व्यय /TOTAL EX	(PECTED EXPENDITURE	₹
	made for दिनांक/	academic/administrative work during the Date नाम / Name	absence from NIT Uttarakhand: सौंपे गये दायित्व / Assigned duti	es हस्ताक्षर / Signature
4.	ठहरने के 1	लेए प्रकृति और छुट्टी के दिनों का अनुरोध कि	त्या गया / Nature and days of leave requeste	d for stay:
ामापि स व	 गेत करता हूं _{हर दूंगा।/} ।	प्रमा कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं। यदि दी	न्या गया / Nature and days of leave requeste णपत्र / CERTIFICATE गई जानकारी गलत पाई जाती है, मैं एन०आई० correct. If the information supplied is foun	oटीo उत्तराखण्ड को पूरी प्रतिपूर्ति

विभागाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर/Counter Signature of HoD

संस्तुत संस्तुत नहीं किया गया Recommended Not Recommended अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षों की समिति के समक्ष रखें / Place before Committee of the Deans and HoD	संस्तुत संस्तुत नहीं किया गया Recommended Not Recommended
अधिष्ठाता (संकाय कल्याण) / Dean (Faculty Welfare)	सहायक / उप कुलसचिव (स्थापना) / Assistant/Deputy Registrar (Estt.)
संस्तुत संस्तुत नहीं किया गया Recommended Not Recommended	संस्तुत संस्तुत नहीं किया गया Recommended Not Recommended
सहायक/उप कुलसचिव (लेखा)/Assistant/Deputy Registrar (A/cs.)	कुलसचिव / Registrar
अनुमोदित / अनुमोदित नहीं किया गया / Not Approved	अनुमोदित / अनुमोदित नहीं किया गया / Not Approved
अधिष्ठाता (संकाय कल्याण) / Dean (FW)	निदेशक / Director
सेवा में / To सहायक / उप—कुलसचिव (स्थापना) / Asstt./Dy. Registrar (Estt.)	

नोट / Note:

- 1) राष्ट्रीय /अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगोष्टियों / विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूर्वानुमित की आवश्यकता होती हैं | / Participating in National | International Conferences | Workshops | Symposia | special training programmes requires prior approval.
- 2) किसी भी व्यय के लिए पूर्वानुमित अवश्य लेनी होगी।/ Prior approval must be taken for any expenditure.
- 3) आमतौर पर, भागीदारी चयनित गुणवत्ता वाले आयोजनों तक ही सीमित होनी चाहिए और स्क्रीनिंग समिति यह सुनिश्चित करेगी की आयोजनों में भागीदारी संस्थान के लिए फायदेमंद होगी।/ Normally, participation should be restricted to selected quality events and the Screening Committee shall ensure that participation in the event will be beneficial to the Institute.
- 4) अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष की एक समिति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों की जांच करेगी कि सम्मेलन टियर—1 स्तर का है, प्रस्तुत पेपर संबंधित संस्थान में किए गए कार्यों से संबंधित है और किए गए दावे क्रम में हैं। संस्थान किसी बाहरी सदस्य को सहयोजित कर सकता है।/A Committee of the Deans and HoDs shall scrutinize the applications submitted to ensure that the conference is of Tier-I level, the paper presented is related to the work carried in the respective institute and the claims made are in order. The Institute may co-opt an external member(s).
- 5) सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा सख्ती से सम्मेलन की अवधि तक ही सीमित होगी और छुट्टियों की अवधि के दौरान स्वीकार्य किया जायेगा ताकि शिक्षण प्रभावित न हो। संस्थान के बाहर का दौरा केवल अवकाश अवधि तक ही सीमित रहेगा।/Foreign travel for attending conferences shall be strictly limited to the period of conference and shall be entertained during vacation period ensuring teaching is not affected. Visits outside the Institution to be restricted to vacation period only.
- 6) किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से पहले संकाय सदस्य को संस्थान में एक सेमिनार आयोजित करना होगा और राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगोष्टियों में भाग लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने से पहले गतिविधियों की रिपोर्ट जमा करना संकाय सदस्य के लिए अनिवार्य है | / It is mandatory on the part of the faculty member to deliver a seminar in the Institute prior to participation in any international conference and submit a report of activities carried out before making claim for reimbursement of expenditure incurred for participating in National | International Conferences | Workshops | Symposia.
- 7) सम्मेलनों में भाग लेने / विभिन्न श्रेणियों के तहत किए गए व्यय के बाद एक महीने के भीतर खाते जमा करने और प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए संकाय सदस्य जिम्मेदार होगा | / The faculty shall be responsible for submitting the accounts and claiming reimbursement within a month after participation in the conference | expenditure incurred under various categories.

- 8) स्वीकार्य व्यय में भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास द्वारा वास्तविक यात्रा व्यय शामिल होगा।/ Admissible expenditure shall include actual travel expenditure by economy class by shortest route following extant Government of India instructions.
- 9) टीए /डीए के लिए संस्थान के मानदंड लागू होंगे। राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगोष्टियों में भाग लेने और अनुसंधान बातचीत के लिए दौरों के लिए श्रेणी के अंतर्गत सभी मदों जैसे टीए /डीए, पंजीकरण शुल्क, वीजा शुल्क आदि का कुल व्यय अधिकतम तीन साल की अविध के लिए सी०पी०डी०ए० से 70% तक होगा (अर्थात ₹ 2,10,000 / लाख)। /Institute norms will be applicable for TA/DA. The total expenditure towards all items under the Category such as TA/DA, registration fee, visa fee, etc. for participating in National/International Conferences/Workshops/Symposia and visits for research interactions shall be up to a maximum of 70% of the CPDA (i.e., ₹2,10,000/- Lakhs) for the three years period.
- 10) यदि संकाय सदस्य किसी भी कारण से सम्मेलन में भाग लेने में विफल रहता है तो भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क सहित सम्मेलन में भाग लेने के लिए किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।/Any expenditure incurred towards participation in a conference including registration fee paid shall not be reimbursable if the faculty fails to attend the conference for any reason.
- 11) जो संकाय सदस्य प्रतिनियुक्ति / क्यूआईपी / छुट्टी (30 दिनों से अधिक) पर हैं, वे संस्थान से अनुपस्थिति के दौरान सी०पी०डी०ए० फंड के तहत प्रतिपूर्ति का दावा करने के हकदार नहीं है।/The faculty members who are on deputation/QIP/leave (beyond 30 days) are NOT entitled for claiming reimbursement under the CPDA funds during their absence from the Institute.
- 12) निदेशक सभी संकायों को सी०पी०डी०ए० के तहत स्वीकृत बजट का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा सके।/The Director shall be responsible for encouraging all the faculty to utilize the budget sanctioned under CPDA to each of them in an effective way so as to promote their academic performance.
- 13) सभी नियमित संकाय सदस्य जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर ली है, अनुदान के लिए पात्र होंगे। यदि कोई संकाय सदस्य संस्थान में शामिल होता है या संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है या एक ब्लॉक अविध के बीच संस्थान छोड़ देता है (इस्तीफा या प्रतिनियुक्ति या कोई अन्य कारण), तो संकाय सदस्य आनुपालिक आधार पर इस भत्ते का हकदार होगा।/All regular faculty members who have cleared their probation period shall be eligible for the grant. If a faculty member joins the Institute or retires from the Institute service/leave the Institute (resignation or deputation or any other reason) in between a block period, the faculty member shall be entitled for this allowance on pro-rata basis.
- 14) स्वीकृत राशि प्रतिपूर्ति योग्य आधार पर स्वीकृत की जाएगी।/ The amount sanctioned shall be sanctioned on reimbursable basis.
- 15) ब्लॉक अवधि में स्वीकृत राशि का केवल एक तिहाई 3 साल की ब्लॉक अवधि के पहले वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी अप्रयुक्त राशि को दूसरे वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शेष राशि को तीसरे वर्ष के दौरान स्वीकृत किया जाएगा।/ Only one third of the amount sanctioned over a block period shall be made available during the first year of the block period of 3 years. Any unutilized amount shall be rolled over to the second year and the remaining amount sanctioned during the third year.
- 16) ब्लॉक अविध के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग रखी गई राशि का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।/Amount set aside for each year of the block period shall not be paid in advance.
- 17) ब्लॉक अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक राशि सभी पात्र संकाय सदस्यों के लिए समान रुप से निर्धारित की जाएगी।/The actual amount received during a block period shall be equally earmarked for all eligible faculty members.
- 18) सभी विदेशी यात्राओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाएगा।/The details of all traveling abroad shall be placed on the website of the Institute.
- 19) दावे की प्रतिपूर्ति के समय आयोजकों से प्राप्त भागीदारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।/Enclose participation certificate received from the organizers at the time of reimbursement of claim.
- 20) अवकाश विवरण एवं कार्यभार समायोजन की अनुशंसा से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।/Leave details and work load adjustment should be verified by Head of the Department before recommendation.

संलग्नक / Enclosures:

- (i) आयोजन की घोषणा / Announcement of the event
- (ii) कार्यक्रम आयोजकों से निमंत्रण पत्र / Invitation letter from the event organizers
- (iii) स्वीकृत कागज की प्रति / Copy of accepted paper

सदर्भ स० / Ref. No.NITUK/	दिनाक / Date:
TO WHOMS	DEVER IT MAY CONCERN
प्रमाणित किया जाता है कि प्रौ०/श्रीमान/सुश्री/श्रीमर्त	/ डॉ॰ ने _ में भाग लेने से पुर्व देया था।
विभाग में दिनांक को एक सेमिनार	देया था।
Certified that Prof./Mr./Ms./Mrs./Drseminar in the Department of	has delivered a prior to participation in on
यह को में उनकी यात्रा के व	में आयोजित होने वाले कार्यक्रम
This is with reference of his/her visit will be held	o the event at
	(विभागाध्यक्ष / HoD)
	NO OBJECTION FROM CO-AUTHOR कर्मचारी हो ∕ Required only if Co-Author is an employee of NIT Uttarakhand)
में, (सः	—लेखक का नाम) पेपर
	(स्थान) में आयोजित होने वाले सम्मेलन में श्रीमान/
	नांक (अवधि) तक की यात्रा में उपरोक्त
पेपर प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं है।	
	(name of co-author) am a co-author of the paper
	(title of paper), I have no objection for the (name of applicant) in the conference scheduled
	on and present the
above paper.	

(सह—लेखक के हस्ताक्षर / Signature of the Co-Author)

सी॰पी॰डो॰ए॰ के लिए टीए/डीए और अन्य व्यय का दावा/TA/DA & OTHER EXPENSES CLAIM FOR CPDA

3. पदनाम /	का नाम/Name Designation: _ क्ष/Departmen							4.	कर्मचारी कोड़ , वेतन स्तर / P लू वेतन / Ba:	ay Level:	
A. यात्रा वि		LING DET	AILS (भारत ः	और विदे	श में हव	ाई / ट्रे	न / सड़क ,				
•	यात्रा का विव						यात्रा का त [्] (हवाई/ट्रेन/		दूरी	किराया /	टिकट सं०/बिल
	प्रस्थान / Departure आगमन / Arrival			ं/टैक्सी आ	दि)	(किमी में) Distance	Fare	स०/टिप्पणी			
स्टेशन/ Station	दिनांक / Date	समय / Time	स्टेशन/ Station	दिनां व Date		ाय / ime	Mode of journey (Air/Train/ /Bus/Taxi etc.)		(in km)	(in ₹)	Ticket Nos./ Bill No./Remarks
(यदि हवाई ३	यात्रा की जाए तो	बोर्डिंग प	ास संलग्न होन	ा चाहिए /	'If travelled	hv Air		<u> </u>	Total (A)	,	
	यात्रा का विवर			यात्रा व	का तरीका	by / iii,		5 5110410			टिकट
	rs of Local Travel		तक /To	Mode ('ओटो / बस गदि) of journey Auto/ Bus	वाह	न नंo/Vehio	cle No.	दूरी (किमी में) Distance (in km)	किराया ∕ Fare (in ₹)	सं०/बिल सं०/टिप्पणी Ticket Nos./ Bill
				€	etc.)				(No./Remarks
								<u>क</u> ल	 ₹ / Total (B)	₹	
			-0.15		Ι				सटी सहित		
C. अन्य शुल Other Ch		से /	अवधि / Perio From त	a ∌⁄To	बिल सं Bill N		दिनों की सं०/ No. of Days	प्रतिवि Ra	सटा साहत दन की दर/ te per day uding GST	राशि / Amount (in ₹)	टिप्पणी / Remarks
आवास शुल्क Accommodat	ion Charges*										
दैनिक भत्ता											
Daily Allowar	ice*										
अन्य शुल्क (य											
Other Charge	s (IT any)							ਰ ਨਾ	/ Total (C)	₹	
								નું લા	, Total (0)	•	

^{*} आवास / डीए संकाय की पात्रता के अनुसार पात्र होगा / Accommodation/DA shall be eligible as per the entitlement of the faculty.

D) पंजीकरण शुल्क / REGISTRATION FEES ₹
E) यात्रा बीमा शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / TRAVEL INSURANCE CHARGESS (as per actuals) ₹
F) वीजा शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / VISA FEES (as per actuals) ₹
G) कोई अन्य व्यय/ANY OTHER EXPENSES ₹
कुल योग ∕ Grand Total (A+B+C+D+E+F+G): ₹
1. निशुल्क बोर्डिंग प्रदान की गई / Free Boarding Provided?: 🔲 हां / YES 🔲 नहीं / NO
2. निशुल्क आवास उपलब्ध कराया गया / Free Lodging Provided?: 🔲 हां / YES 🔲 नहीं / NO
मुझे पता है कि, यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी / दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो मैं सी०सी०एस० (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूं।/I am aware that, if at any stage the information/documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action under CCS (Conduct) Rules, 1964.
दिनांक / Date: दावेदार के हस्ताक्षर Signature of the claimant
स्थापना अनुभाग को अग्रेषित Forwarded to Establishment
विभागाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर Counter Signature of HoD

केवल स्थापना अनुभाग प्रयोग हेतू / FOR ESTABLISHMENT SECTION USE ONLY

आवेदन	न प्राप्त हुआ / Application received on				
From	प्रौ० / डॉ० / श्रीमती / सुश्री / श्रीमान / Prof./Dr./Mrs./l	Ms./Mr			
1.	a) कुल अधिकतम सीमा / Total ceiling limit b) उपलब्ध शेष / balance available			a) ₹ b) ₹	
2.	टीए / डीए, पंजीकरण शुल्क, वीजा शुल्क आदि पर किया गया कुल व्यय / Total expenditure incu TA/DA, registration fee, visa fee, etc. so far		:		
3.	वर्तमान दावा / Present claim		:		
4.	दावा स्वीकार्य / Claim admissible		:		
5.	शेष राशि उपलब्ध / Balance available (1b-4)		:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	वेवरण की जांच rticulars checke	-		
	/ कनिष्ठ सहायक (स्थापना) ior/Assistant (Estt.) S	अधीक्षक (र uperintende			सहायक / उप—कुलसचिव (स्थापना) Asstt./Dy. Registrar (Estt.)

केवल लेखा अनुभाग प्रयोग हेत् / FOR ACCOUNTS SECTION USE ONLY

क्र०सं० S.No.	विवरण / Particulars	राशि स्वीकार्य / Amount admissible				
1.	हवाई किराया (केवल इकोनॉमी क्लास) / ट्रेन किराया / टैक्सी किराया / बस किराया Airfare (economy class only) / Train Fare / Taxi Fare / Bus Fare	₹				
2.	पंजीकरण शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / Registration Fees (as per actuals)	₹				
3.	दैनिक भत्ते (संकाय की पात्रता के अनुसार) / Daily Allowances (as per the entitlement of faculty)	₹				
4.	आवास (संकाय की पात्रता के अनुसार) / Accommodation (as per the entitlement of faculty)	₹				
5.	वीजा फीस शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / Visa Fees Charges (as per actuals)	₹				
6.	यात्रा बीमा शुल्क (वास्तविक के अनुसार) / Travel Insurance charges (as per actuals)	₹				
7.	कोई अन्य खर्च, यदि कोई हो / Any other expenses, if any	₹				
	कुल देय राशि∕TOTAL AMOUNT PAYABLE ₹					

बिल की जांच/Bills checked	बिल की जांच एवं सत्यापन / Bills checked & verified	
वरिष्ट / कनिष्ठ सहायक (लेखा)	अधीक्षक (लेखा)	सहायक / उप–कुलसचिव (लेखा)
Senior/Junior Assistant (A/cs.)	Superintendent (A/cs.)	Asstt./Dy. Registrar (A/cs.)
कुलसचिव / Registrar	अधिष्ठाता (संकाय कल्याण) / Dean (FW)	निदेशक / Director

सेवा में / To सहायक / उप–कुलसचिव (लेखा) Asstt./Dy. Registrar (Accounts)